

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून।

सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी  
विकासनगर।

पत्रांक/ शिविर(मा0)/ 16/40-41 /विविध/2024-25 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024  
विषय:- श्री फतेह आलिम, पुत्र श्री अली हसन, निवासी-जीवनगढ़, अम्बाड़ी विकासनगर,  
देहरादून के शिकायती प्रकरण पर की गई सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने पत्रांक/781/उ.अ.स.  
आ./23-फतेह आलम/सुनवाई/2024-25 दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा श्री फतेह आलिम  
पुत्र श्री अली हसन, निवासी-जीवनगढ़, अम्बाड़ी विकासनगर, देहरादून के शिकायती प्रकरण  
दिनांक 28.08.2024 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के उपरांत मा.आयोग द्वारा उप शिक्षा  
अधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया गया है कि मां. अरहान का प्रवेश आर.टी.ई. के  
अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदन में चयनित विद्यालय ब्राइट एंजल्स स्कूल में नियमानुसार एक  
सप्ताह के अन्तर्गत करवाते हुए आख्या मा. आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः तदक्रम में मा. आयोग द्वारा निर्गत उक्त पत्र की प्रति आपको इस आशय के साथ  
प्रेषित कि जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए आख्या मा. आयोग  
को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून।

पृष्ठांकन/ शिविर(मा0)/ 16/40-41 /विविध/2024-25 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि :- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहिद भगत सिंह  
कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून।